संख्या- 2/2020/122/77-1-2020-02(बजट)/2015

प्रेषक,

जय प्रकाश,
उपसचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 27 फरवरी, 2020

विषयः- इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू0पी0 (इटप) लखनऊ संस्थान के रख-रखाव हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 मे व्यय हेतु अवशेष धनराशि रू0 5.00 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में जारी निर्देशों के अनुसरण में इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू0पी0 (इटप), लखनऊ संस्थान के रख-रखाव हेतु व्यय के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0-10,00,000.00 (रू0 दस लाख मात्र) के सापेक्ष व्यय हेतु 50 प्रतिशत रू0 5,00,000.00 (रू0 पांच लाख मात्र) शासनादेश संख्या- 1/2020/11/77-1-2020-02(बजट)/2015, दिनांक 17.01.2020 द्वारा जारी की गई थी। मद संख्या- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि में से अवशेष धनराशि रू0 5,00,000.00 (रू0 पांच लाख मात्र) निम्न विवरण के अनुसार स्वीकृत करते हुए इस शर्त के साथ आपके निवर्तन पर रखी जाती है कि इस धनराशि को आहरित करने हेतु नियमानुसार महाप्रबन्धक, इटप, लखनऊ द्वारा बिल बनाया जायेगा और संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु प्रस्तुत किया जायेगाः-

क्रमांक	**मानक मद**	**प्रयोजन**	**बजट प्रावधान (रू0)**	**व्यय हेतु निर्गत धनराशि (रू0)**	**अवशेष निर्गत धनराशि (रू0)**
1	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	रख-रखाव संचालन आदि	10,00,000.00	5,00,000.00	5,00,000.00
		योगः	**10,00,000.00**	**5,00,000.00**	**5,00,000.00**

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2019 में जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा एवं स्वीकृत धनराशि के सदुपयोग की सूचना शासन के वित्त विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर राजकोष से किया जाएगा।

3- उपर्युक्त व्यय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक- "2885-उद्योगो तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-18-इन्स्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग उ0प्र0 (इटप)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन)" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(जय प्रकाश)
उपसचिव।

संख्या- 2/2020/122(1)/77-1-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ0प्र0, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त व्यवस्थित धनराशि सेन्ट्रल सर्वर पर अपलोड कराने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
4- कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आहरित धनराशि का उपयोग करने के पश्चात औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन को नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र अतिशीघ्र उपलब्ध करायें।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्कीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा महाप्रबन्धक, इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू0पी0 (इटप), कानपुर रोड, अमौसी, लखनऊ को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आबंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
7- महाप्रबन्धक, इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू0पी0 (इटप), कानपुर रोड, अमौसी, लखनऊ को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि उक्त आहरित धनराशि का उपयोग करने के पश्चात औद्योगिक विकास अनु0-1, उ0प्र0 शासन को नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र अतिशीघ्र उपलब्ध करायेंगे।
8- वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/4, उ0प्र0 शासन।
9- वित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
10- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
11- औद्योगिक विकास अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश)
उपसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in